

प्रारूप -6
राजस्थान सरकार
कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो शिक्षा प्रसार अधिकारी के रूप में शिक्षा विभाग में कार्यरत है, को 60 वर्ष की अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

| क्र.सं. | नाम अधिकारी मय पदस्थापन | विषय | जन्मतिथि | सेवा निवृत्ति तिथि |
|---------|---|-----------------------|------------|--------------------|
| 1 | श्री जगदीश चन्द्र चाष्टा, एबीईईओ, कपासन, चित्तौड़गढ़ | शिक्षा प्रसार अधिकारी | 06.10.1957 | 31.10.2017 |

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर वर्णित नामित के विरुद्ध आज तक :-


- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-8/एसडीआई/पु.अ.-प्रथम श्रेणी/सेवानिवृत्ति/10960/16-17/दिनांक:- 11.10.17
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर
- 2 संबंधित उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
- 3 संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक,
- 4 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा-प्रथम/द्वितीय
- 5 संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित
- 6 सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ
- 7 संबंधित प्राध्यापक द्वारा संस्था प्रधान
- 8 निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर